बिहार सरकार

हरियाली मिशन

पृष्ठभूमि :–

बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अवयव के रूप में हरियाली मिशन को सम्मिलित किया गया है। कृषि रोड मैप (वर्ष 2012–17 तक) के अनुसार विभाग को वर्ष 2017 तक राज्य के 15 प्रतिशत भू–भाग पर वनाच्छादन करने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य में वनाच्छादन को 9.79 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2012–17 के मध्य 23.95 करोड़ पौधों द्वारा वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसके विरूद्ध विभागीय योजनान्तर्गत, तथा कृषि वानिकी के रूप में किसानों की भूमि पर 18.47 करोड़ वृक्षारोपण किया गया।

अद्यतन बिहार रिमोट सेन्सिंग अपलीकेशन केन्द्र, पटना द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15.04 प्रतिशत हिस्सा वृक्षों से वनाच्छादित है।

तृतीय कृषि रोड मैप 2017–2022 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को वनावरण में 2 प्रतिशत वृद्धि कर कुल 17% वनावरण करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में कृषि रोड मैप 2012–17 अन्तर्गत वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण के पश्चात् अधिक भूमि का उपलब्ध होना कठिन है क्योंकि बिहार राज्य की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। विदित हो कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (जनगणना 2011), जबकि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. (जनगणना 2011) है। स्पष्ट है कि इतने अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में वनाच्छादन में वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कृषि रोड मैप 2012–17 अन्तर्गत रोपित पौधों का दोहन भी 7–8 वर्षों के पश्चात् हीं होगा। इस प्रकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा 1 प्रतिशत हरित आवरण की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अतिरिक्त 1 प्रतिशत हरित आवरण की वृद्धि ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत मनरेगा तथा बागवानी मिशन अन्तर्गत कराए जाने वाले पौधारोपणों से प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

दृष्टि :–

हरियाली मिशन के उपरांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नीति :–

- वन क्षेत्रों की पारिस्थितिकी के विकास/संवर्द्धन एवं भू–क्षरण की रोकथाम हेतु भू–एवं जल–संरक्षण उपायों के संपादन सहित वर्तमान में उपलब्ध वन भूमि के वनोपज/स्टॉक में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि एवं वनभूमि का पुनरूद्धार करना।
- सरकारी एवं निजी भूमि के साथ–साथ बंजर भूमि पर पौधारोपण करना।
- कृषि आय में बढ़ोत्तरी हेतु कृषि वानिकी का कार्यान्वयन।
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु उक्त परिवारों को वनरोपण कार्यों एवं पौधारोपण स्थलों की सुरक्षा में शामिल करना।
- सरकारी पौधशालाओं, किसान पौधशालाओं एवं निजी पौधशालाओं की स्थापना कर अच्छी गुणवत्ता के पौधें उपलब्ध कराना।
- स्थान, बाजार एवं आवश्यकता का आकलन कर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों का चयन कर सफल वृक्षारोपण कराना।

हरियाली मिशन के उद्देश्य :–

- बिहार राज्य में वर्ष 2022 के अंत तक वृक्षाच्छादन क्षेत्र को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाना है।
- अवकृष्ट वनों के पुनर्वास योजनान्तर्गत 1000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य तथा 847 लाख पौधों का वृक्षारोपण कार्य किया जाना है।
- कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त/वर्द्धित आय का प्रबंध करने के साथ उनके आर्थिक स्तर पर उन्नयन करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को लगाय गये वृक्षों का पट्टा देकर जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।
- राज्य में वनोत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में सहायता किया जाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कर सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाना एवं राज्य के औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।
- तटबंधों, नहर एवं सड़क के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना।

हरियाली मिशन अन्तर्गत 2012–17 की उपलब्धि :

क्र. सं.	जमीन की प्रकृति	अवयव	राज्य अन्तर्गत कुल उपलब्ध क्षेत्र	2012–17 का लक्ष्य		2012–17 की उपलब्धि	
				लक्षित क्षेत्र	पौधों की सं. (लाख में)	क्षेत्र	पौधों की सं. (लाख में)
1	वन भूमि	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास तथा मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य	350000 हे0	200000 हे0	1025.00	158813.74 हे0	621.075
2	वनों के बाहर सरकारी भूमि पर वृक्ष रोपण	नदी तटबंध–3629 कि.मी.	3629 कि.मी.	2200 कि. मी.	43.55	1116.2 कि.मी.	16.135
3		नहर तटबंध– 10392 कि.मी.	10392 कि. मी.	6235 कि. मी.	83.05	3245.55 कि. मी.	48.472
4		पथ निर्माण विभाग के पथ–8000 कि.मी.	8000 कि.मी.	4000 कि. मी.	53.40	5335.25 कि. मी.	56.769
5		ग्रामीण कार्य विभाग की पथ–95000 कि.मी.	95000 कि. मी.	38000 कि. मी.	380.00	38601 कि.मी.	386.01
6	अवकृष्ट एवं बंजर भूमि	बंजर/जल जमाव वाले क्षेत्र तथा शहरी वानिकी–112000 हे0	112000 हे0	33600 हे0	210.00	6996.62 हे0	7.436
7	किसानों की भूमि	कृषि वानिकी के तहत कृषि फसल के साथ पौधों का रोपण (भौगोलिक क्षेफल के 80 प्रतिशत रकबा को कृषि भूमि मानते हुए) पॉप्लर 75 प्रतिशत अन्य प्रजाति के पौधें 25 प्रतिशत	7533120 हे0	400000 हे0	600.00	343939.65 हे0	711.27
कुल					**2395.00**		**1847.167**

हरियाली मिशन की योजनाएँ

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना

हरियाली मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का उद्देश्य :– इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को उनके पसंद के पौधे (यथा संभव) बरसात के मौसम में अपने खेत/बगान/मेढ़ पर लगाने के लिए दिये जाते हैं। जिसमें उनको पौधों की देखभाल के लिये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इन पौधों के बड़ा होने तथा वृक्ष बनने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शत् प्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होता है।

योजना में दिये जाने वाले लाभ :–

- एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के 3 फीट अथवा उससे बड़े पौधों की उपलब्धता।
- सभी पौधे स्थानीय विभागीय पौधशालाओं से उपलब्ध कराये जायेंगे।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी।
- पौधों पर किसान बंधुओं का संपूर्ण अधिकार।
- पौधों के मूल्य, प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जाएगी।
- वृक्षारोपण पूरे खेत में 2 मी0 X 2 मी0 या 3 मी0 X 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेढ़ पर लगाया जाता है।

योजना में शामिल होने की पात्रता :

- आवेदक के अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने लायक भूमि होनी चाहिए।
- योजना में शामिल होने के लिए भूमि की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है।

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

''कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना'' हरियाली मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधा रोपण के लिए है।

योजना का उद्देश्य :–

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधें उपलब्ध कराये जाते हैं। पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- लाभुकों को पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण में दी जाती है।
- पौधों पर सम्पूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होता है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनान्तर्गत ''पॉप्लर पौधशाला'' योजना

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अन्तर्गत पॉप्लर पौधशाला स्थापना योजना, हरियाली मिशन, द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने के लिए चलायी जा रहा है। इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को पॉप्लर की कटिंग उपलब्ध करायी जाती है। इससे पॉप्लर के पौधे तैयार होते हैं, जिसे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीद लिया जाता है।

पॉप्लर के साथ धान की खेती

पॉप्लर के साथ ओल की खेती

योजना का उद्देश्य :–

- कम समय में अधिक–से–अधिक पौधा तैयार करना।
- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

वृक्षों/कटिंग की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को विभाग के स्थानीय कार्यालय, स्थापित पॉप्लर पौधशाला से पॉप्लर कटिंग उपलब्ध कराये जाते है। लाभुकों को 10,000/– (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराये जाते है।

कृषकों/लाभुकों को लाभ :– हरियाली मिशन के तहत पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में दी जाती है।

- ❖ प्रथम किस्त 20% मार्च में।
- ❖ द्वितीय किस्त 30% अक्टूबर में।
- ❖ तृतीय किस्त 50% दिसम्बर में।

शोध कार्य

हरियाली मिशन के तहत् राज्य में वानिकी शोध यथा बीज संग्रहण, उपचार, अच्छे वृक्षों की पहचान, क्लोनल ट्रायल, टिशूकल्चर लैब की स्थापना, डिमोन्सट्रेशन प्लॉट निर्माण, मृदा जाँच, विभिन्न एग्रोकलाईमेटिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का चयन, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए विभागीय कार्यक्रमों एवं वानिकीकरण कार्यों की प्रचलित प्रक्रियाओं में परिवर्तन आदि विषय पर शोध कार्य किए जाने की योजना है। इसके लिए विभाग के द्वारा आई0सी0एफ0आर0ई0 के साथ अनुबंध कर कृषि वानिकी की प्रजातियों यथा – पॉप्लर, शीशम, सैलिक्स, मेलिया, यूकेलिप्टस इत्यादि के पर शोध कार्य किया जा रहा हैं। इसके लिए कृषकों के खेतों डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट तैयार कर प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है।

किसानों का प्रशिक्षण

हरियाली मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पहल पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिष्द (आई0सी0एफ0आर0ई0) द्वारा हल्दवानी, पंत नगर एवं झांसी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को पौधशाला एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत लगाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का मानक संबंधित प्रशिक्षण दी जाती है।

मृदा एवं जल संरक्षण योजना

विभाग द्वारा प्रादेशिक वन प्रमण्डलों के वन भूमि में मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे है। इस योजना के तहत् विभिन्न संरचनाएँ बनाकर पहाड़ों पर मृदा का क्षरण होने से बचाव तथा पहाड़ों की ढालो पर जल का संचयन किया जाता है। इस योजना में नालन्दा, मुंगेर, गया, बेतिया, बांका, जमुई, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद एवं रोहतास वन प्रमण्डलों को शामिल किया गया है।

हर परिसर, हरा परिसर योजना

इस योजना में राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर यथा–विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, संस्थानों, कार्यालयों एवं अन्य सरकारी परिसरों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत् विभाग द्वारा हीं परिसरों में पौधारोपण एवं सम्पोषण का कार्य किया जाता है। रोपित पौधों पर सम्बन्धित संस्थान का पूर्ण अधिकार होता है।

आगम–निर्गम पथ

राज्य के जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों में प्रवेश करते समय शहर की सुन्दरता में वृद्धि एवं पर्यावरण में सुधार करने तथा शहर में आने–जाने वाले लोगों को छाया प्राप्ति, वृक्ष लगाने के प्रति आम जन में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शहरी वानिकी योजनान्तर्गत जिला एवं अनुमंडल मुख्यालयों को जोड़ने वाले पथों पर पौधारोपण करने की येाजना की शुरूआत वित्तीय वर्ष 2015–16 से की गई है।

राष्ट्रीय स्वछ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga)

बिहार में गंगा की कुल लम्बाई 445 कि0मी0 है। गंगा के प्रमुख्य सहायक नदियाँ– घाघरा, गंडक, कोशी एवं सोन है। बिहार के 20 जिले जहाँ से गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती है उन जिलों में ''नमामि गंगे योजना'' के तहत् पौधारोपण किया जा रहा है। बिहार में गंगा 12 जिलों – बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगरिया, मुंगेर, कटिहार एवं भागलपुर से होकर बहती है। इस योजना के तहत् आद्रभूमि का विकास एवं ईको पार्क का निर्माण से गंगा एवं उसके सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदायों को आय का स्रोत्र प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना से पानी के प्रवाह में सुधार (दोनों गुणात्मक एवं मात्रात्मक) होगी। राज्य में योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। "Forestry Interventions for Ganga" योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में 39908, वर्ष 2017–18 में 85705 तथा वर्ष 2018–19 में 449225 पौधों का रोपण किया गया है।

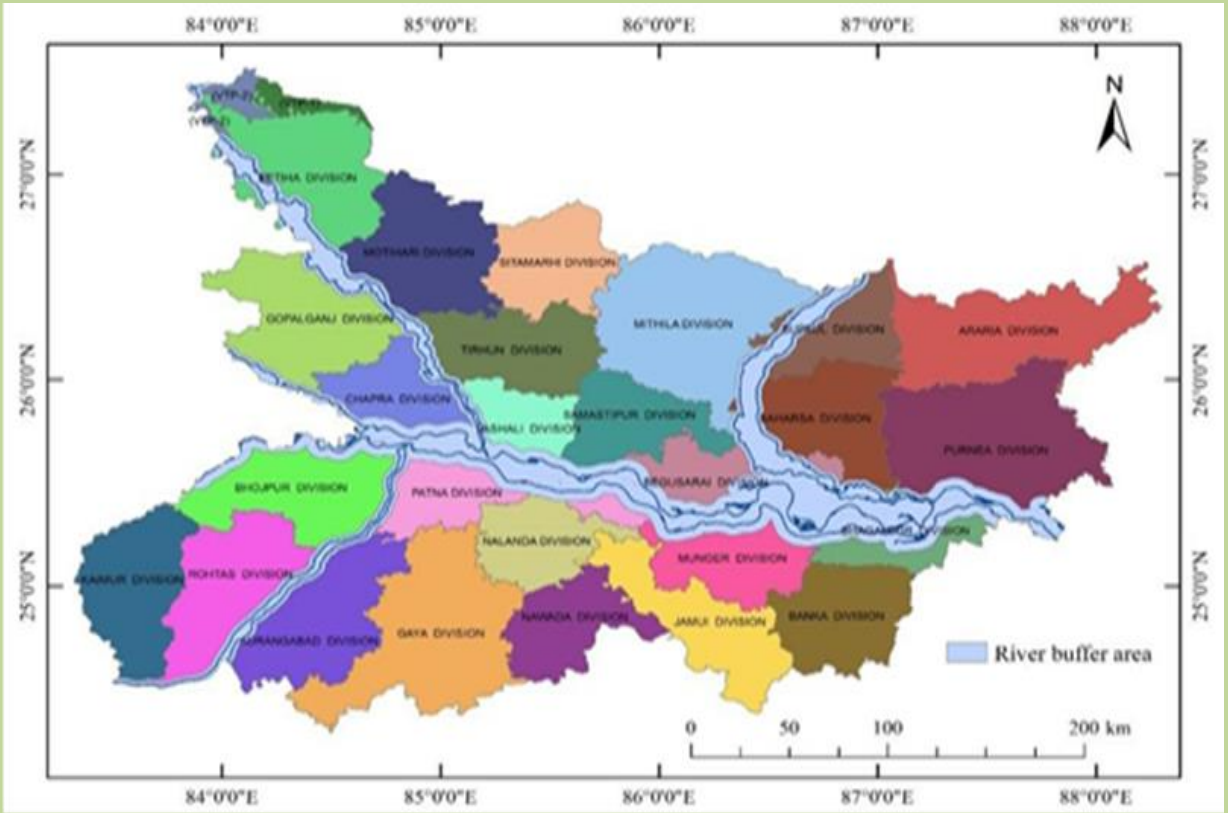

Sub-Mission on Agro Forestry (SMAF)

राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अन्तर्गत हरित आवरण में वृद्धि एवं आजीविका के स्रोत उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा Sub-Mission on Agro-Forestry (SMAF) की योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत वर्ष 2017 से प्रारंभ की गई है। SMAF योजना में मुख्य रूप से दो अवयव हैं–पौधशाला की स्थापना एवं कृषि वानिकी अन्तर्गत पौधारोपण शामिल है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

राष्ट्रीय बांस मिशन के कार्यक्रमों को राज्य अन्तर्गत क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके घटकों में प्रचार, कृषि, बांस उपचार का सम्वर्धन एवं संरक्षण, उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण, बांस बाजार के लिए आधारभूत संरचना का सम्वर्धन एवं विकास, कौशल विकास एवं जागरूकता अभियान, अनुसंधान एवं विकास तथा परियोजना प्रबंधन शामिल हैं। इन कार्यक्रमों को हरियाली मिशन के स्तर से संचालित किया जाना है।

ग्रीन क्लाईमेट फंड (Green Climate Fund)

GCF के अन्तर्गत NABCONS द्वारा DPR तैयार किया गया है। दक्षिण बिहार के 7 जिलों यथा औरंगाबाद, गया, जमुई, कैमूर, नालंदा, नवादा एवं रोहतास में योजनांतर्गत कार्य किए जाऐंगे।